8239
5/2/14

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या– 269/2013–14

श्री रामचन्द्र दास बनाम श्री सुरेन्द्र दास

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख का अनुशीलन किया तथा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तार्किक बहस को सुना।

विदित होता है कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत इस वाद में रामचन्द्र दास पे0– स्व0 विल्टु दास, निवासी ग्राम– करजापट्टी, थाना– कमतौल, पो0– करजापट्टी जिला– दरभंगा आवेदक तथा सुरेन्द्र दास पे0– स्व0 मंगलु दास ग्राम– करजापट्टी, थाना– कमतौल, पो0– करजापट्टी जिला– दरभंगा विपक्षी सदस्य हैं। इस वाद की विषयवस्तु मौजा– करजापट्टी थाना– कमतौल अंचल– केवटी जिला– दरभंगा में अवस्थित अद्योलिखित ब्योरे की भूमि है :–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहददी
508 नया	1942 नया	09 डिस्मल मय मकान	उ0– रामेश्वर मंडल
			द0– बाल गोविन्द दास
			पू0– सिंघेश्वर मंडल
			प0– सड़क

आवेदक रामचन्द्र दास के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 09.07.2013 के आलोक में उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए वाद को प्रतिग्रहित की गई तथा विपक्षी को निबंधित सूचना दिनांक 27.07.2013 को निर्गत की गई, विपक्षी ने सूचना पाकर कार्रवाई में भाग लिया तथा दिनांक 20.08.2013 को अपनी ओर से आवेदक के आवेदन के खिलाफ आपत्ति आवेदन सह लिखित बयान दाखिल किया जिसपर उभय पक्षों को सुनते हुए इस वाद की विधिवत सुनवाई पूर्ण की गई है।

वादी ने अपने वाद पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि का हाल सर्वे खतियान इनके पिता स्व0 विल्टू खतवे के नाम से खुला है तथा इस भूमि पर इनका शान्तिपूर्ण दखल–कब्जा चला आ रहा है। इनका यह भी कहना है कि विपक्षी बेघर थे और इन्होनें उन्हें एक कमरा कुछ दिनों तक रहने के वास्ते दिया, परन्तु विपक्षी द्वारा अब इस घर को खाली नहीं किया जा रहा है और विपक्षी कहता है कि मकान किराया पर मिल जाने के बाद खाली कर देगें और विपक्षी को बार–बार खाली करने को कहने पर विपक्षी इनके साथ लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है।

विपक्षी ने अपने दावे के समर्थन में लिखित जबाब दाखिल

18/09/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	किया है जिसमें इन्होनें लिखा है कि वादी तथा इनका घर बिल्कुल सटा हुआ है एवं घर से मुख्य सड़क पर आने जाने का रास्ता एक ही है और वादी द्वारा इनके रास्ता को अवरूद्ध कर दिया गया है जिसको लेकर द0प्र0स0 की धारा– 147 के तहत मामला अनुमण्डल दण्डाधिकारी सदर, दरभंगा के न्यायालय में चल रही है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में हाल सर्वे खतियान की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है :– विपक्षी ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किया है। स0 अ0 नि0 थाना– कमतौल द्वारा अनुमण्डल दण्डाधिकारी सदर, दरभंगा को प्रतिवेदित प्रतिवेदन की छायाप्रति एवं ग्राम पंचायत राज सरपंच द्वारा किया गया निर्णय की आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा दायर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों संलग्न कागजात एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं प्रस्तुत कागजातों के गहन अवलोकनोपरान्त यह ज्ञात होता है कि वादी जिस भूमि पर अपना दावा करते हैं उस भूमि से सम्बन्धित मात्र एक हाल सर्वे खतियान की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है जो इनके पिता के नाम से दर्ज है। इस कागजात के अलावा इन्होंने इस भूमि पर अपने वैद्य दावा का कोई ठोस प्रमाण लिखित या कागजी साक्ष्य के रूप में नहीं दिया है। इनके पिता के नाम से हाल सर्वे में खतियान तो खुली है परन्तु वादी द्वारा कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि यह जमीन इन्हें किस वैद्य कागजात के आधार पर हैं। साथ हीं साथ इन्होंनें अपने वाद पत्र में यह उल्लेख किया है कि विपक्षी को एक कमरा उन्हें रहने हेतु दिया है जिसे विपक्षी खाली नहीं कर रहें हैं इससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी बने बनाये मकान के कमरे में रह रहें हैं और इस कमरा को खाली होने के पश्चात हीं यह प्रश्नगत भूमि आवेदक की हो सकती है। इस कार्य हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है। अस्तु वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। वादी अगर चाहे तो इस समस्या के समाधान हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। **लेखापित एव शुद्धित** 08/01/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 08/01/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	